

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा

बहक श्री गफूरखा
पुत्र श्री भोबूरखा
जाति लोहार नि. निम्बोला

मुकदमा नं. 18/2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम निम्बोला खसरा नम्बर 469
रकबा 0.0500 हैक्टर किस्म सिवायक (राजकीय भूमि) पर संवत् 2074 में श्री गफूरखा
पुत्र श्री भोबूरखा जाति लोहार निवासी निम्बोला (जिसे
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा कच्चा मकान बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू.-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिफ जारी कर तलब किया
गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित हुआ अप्रार्थी ने लिखित में जबाब पेश किया जबाब शामिल
पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम निम्बोला
ख.न. 469 रकबा 0.0500 किस्म सिवायक पर संवत् 2074 में बिना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर कच्चा मकान बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति हे० का 50 गुणा रूपया 1.00 रु०
(रूपये एक रूपया जुमाना) शास्ति
कायम की जाती है।

निर्णय की
क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड्ड
एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)
जिला-नागौर (राज०)